THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI) : (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) At pesent there is no such proposal.

(d) A 10-point minimum programme was issued to all the State Govts, in 1975 which was followed by detailed quidelines in 1978 for taking effective, meaningful and long term steps for implementation of Prohibition.

Government of India has launched a massive awareness generation programme to educate the people against the ill-effects of alcoholism and various media are being used for this purpose.

Financial Assistance to Gujarat for Welfare Scheme

235. SHRI AHMED MOHMEDBHA1 PATEL : Will the Minister of WELFARE be pleased to state :

(a) whether Government of Gujarat announced a number of Welfare Schemes for the State on October 2, 1993;

(b) if so, whether the Central Government has agreed to provide loan assistance to the State Government in implementing these Welfare Schemes;

(c) if so, what are the areas that will be covered during the current year; and

(d) the amount of assistance proposed to be provided by the Centre to implement these Schemes ?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI) : (a) to (d) The information is being collected from Government of Gujarat and will be laid on the Table of the House.

Dr. Ambedkar Foundation

236. SHRI V. GOPALSAMY : Will the Minister of WELFARE be pleased to refer to the answer to Starred Question 244 given in the" Rajya Sabha on 13th August, 1993 and state ;

(a) whether Government has since re-constituted the Dr. Ambedkar Foundation;

(b) if so, the names of the present members of the Foundation; and

(c) if the answer to part (b) above be in the negative, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI) : (a) Yes, Sir.

(b) As at Annexure, *[See* Appendix CLXIX Annexure no 14].

(c) Does not arise.

गुजरात में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए छात्रावास

237. श्री चिनमभाई हरिभाई शुक्ल : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय गुजरात में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए स्थापित किए गए छात्रावासों की जिलावार संख्या क्या है;

(ख) सरकार ने इन छात्रावासों में रह रहे छात्रों के लिए क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं;

(ग) क्या चालू वर्ष के दौरान छात्रों के लिए और अधिक छात्रावासों का निर्माण करने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(घ) प्रत्येक छात्रावास में प्रति वर्ष कितने छात्रों को प्रवेश दिया जाता है ।

(ङ) सरकार प्रत्येक छात्रावास तथा प्रत्येक छात्र के लिए कितनी धनराशि आबंटित करती है तथा इन छात्रावासों में क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं; और

(च) सौराष्ट्र के उन जिलों के नाम क्या हैं जहां ऐसे छात्रावास स्थापित किए गए हैं और सौराष्ट्र के अन्य जिलों में ऐसे छात्रावास स्थापित न किए जाने के क्या कारण हैं तथा सरकार उन जिलों में कब तक ऐसे छात्रावास स्थापित करेगी ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) राज्य सरकार द्वारा अगस्त, 1993 में दी गई सूचना के अनुसार गुजरात में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 385 छात्रावासों (351 सहायतानुदान प्राप्त छात्रावासों को शामिल करते हुए) तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 729 छात्रावासों (694 सहायतानुदान प्राप्त छात्रावासों को शामिल करते हुए) की स्थापना की गई है। जिलेवार सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्रावास की केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत भवन निर्माण हेतु केंद्रीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

(ग) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष में और अधिक छात्रावासों के निर्माण के गुजरात सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अल्पसंख्यक वित्त निगमों की स्थापना

238. **श्री मोहम्मद अफजल** उर्फ **मीम अफजल** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में अल्पसंख्यक वित्त निगम स्थापित है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन निगमों ने वर्ष-वार तथा राज्य-वार कितनी राशि के ऋण दिये हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) उपलब्ध सूचना के मुताबिक अल्पसंख्यक वित्त निगम आन्ध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक तथा उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं।

(ख) राज्य सरकारों/संघ राज्यों से सूचना एकत्र की जा रही है।

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये सेवाएं

239. **श्री मोहम्मद अफजल** उर्फ **मीम अफजल** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालयों की विभिन्न सेवाओं में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये निर्धारित कोटा कितना है और उसका मंत्रालय-वार ब्यौरा क्या है, और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त योजना के अन्तर्गत भर्ती किये गए शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का मंत्रालय-वार ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) समूह "ग" और "घ" पदों पर अभिज्ञात पदों में 3 प्रतिशत रिक्तियां शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों, के लिए दृष्टिहीन, मूक और अस्थि विकलांग प्रत्येक के लिए 1 प्रतिशत आरक्षित की गई है।

(ख) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान भर्ती किए गए शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं (नीचे देखिए)। इसके अतिरिक्त, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की रिक्तियों को भरने हेतु, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 1987, 1988 और 1990 में तीन विशेष भर्ती अभियान शुरू किए गए थे जिनके परिणामस्वरूप विभिन्न मंत्रालयों/विभागों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और बैंकों में 1036 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया।